न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या –23/2014 जिला सीकर

1. पाना देवी पत्नी जयनारायण (मृतक नाम हजफ)
2. बनवारी लाल पुत्र जयनारायण
जाति ब्राह्मण, निवासी श्यामपुरा (पूर्वी) तहसील दांतारामगढ, जिला सीकर ।

अपीलान्टान

बनाम

1. रामेश्वर पुत्र विजेलाल, जाति ब्राह्मण, निवासी किकरालिया, तहसील दांतारामगढ, जिला सीकर ।
2. सरकार जर्ये तहसीलदार दांतारामगढ ।

रेस्पोंडेन्ट्स

3. संतरा पत्नी बाबू लाल पुत्री जयनारायण, जाति ब्राह्मण, निवासी चारण का बास, तहसील व जिला सीकर ।
4. द्रोपती पत्नी विनोद कुमार चोटिया पुत्री जयपरायण, जाति ब्राह्मण, निवासी चुवास, तहसील फतेहपुर, जिला सीकर ।
5. निर्मला पत्नी सन्तोष कुमार पुत्री जयनारायण खाण्डल ब्राह्मण, निवासी होल्याना बास, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर ।

तरतीबी रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा उप खण्ड अधिकारी दांतारामगढ, जिला सीकर दिनांक 5.5.2014

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्टश्री श्याम बाबू पारीक
2. वकील रेस्पोंडेन्ट श्री कैलाश नारायण शर्मा

निर्णय

दिनांक – 08.08.2018

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

यह द्वितीय अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उप खण्ड अधिकारी दांतारामगढ, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 5.5.2014 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि ग्रम किकरालिया, तहसील दांतारामगढ, जिला सीकर स्थित आराजी खसरा नम्बर 42, 43 एवं 44 कुल किता 4 कुल रकबा 33 बीघा 15 बिस्वा में 1/3 हिस्से का खातेदार विजयलाल पुत्र बक्सीराम था । खातेदार विजय लाल के फौत होने पर उसकी विरासत का नामांतरकरण संख्या 67 जमना बेवा विजयलाल के नाम वर्ष 1971 में तस्दीक हुआ एवं मु. जमना बेवा विजयलाल के फौत होने पर उसकी विरासत का नामांतरकरण संख्या 107 ग्रम पंचायत श्यामपुरा द्वारा रामेश्वर पुत्र मु. जमना के नाम दिनांक 21.5.1975 को स्वीकार किया गया । मु. जमना की विरासत के नामांतरकरण संख्या 107 से व्यथित होकर पाना देवी धर्मपत्नी स्व. जयनारायण व बनवारी लाल पुत्रान स्व. जयनारायण द्वारा अपील न्यायालय उप खण्ड अधिकारी दांतारामगढ के समक्ष दिनांक 18.4.2012 को मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की, जो अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 5.5.2014 द्वारा अपील अपीलान्ट मियाद बाहर पेश होने से मियाद के बिन्दु पर खारिज की है । उप खण्ड अधिकारी दांतारामगढ के उक्त निर्णय दिनांक 5.5.2014 के खिलाफ अपीलान्ट्स द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश व

नामांतरकरण संख्या 107 निरस्त किये जाकर मु. जमना देवी के वारिस रामेश्वर पुत्र विजय लाल एवं जयनारायण के वारिस अपीलान्ट्स व रेस्पोंडेन्ट संख्या 3 से 5 के नाम 1/3 भाग में से 1/2–1/2 भाग का नामांतरकरण स्वीकृत करने के आदेश प्रदान करने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि के खातेदार विजय लाल के वारिस जमना देवी पत्नी, जयनारायण एवं रामेश्वर पुत्र तथा जयनारायण (फौत) के वारिस पाना देवी पत्नी, बनवारी पुत्र, सन्तरा, द्रोपदी, निर्मला पुत्रियॉ है । मु. जमना पत्नी विजय लाल की विरासत का प्रश्नगत नामांतरकरण ग्रम पंचायत द्वारा बिना वारिसान की जॉच किये व वारिसान को बिना नोटिस दिये न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों की अवहेलना करते हुये एवं हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के विपरीत अकेले रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 रामेश्वर के नाम तस्दीक किया है । प्रनगत नामांतरकरण पटवारी हल्का द्वारा रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 रामेश्वर को मु. जमना का पुत्र अंकित करते हुये भरा है जिस पर दिनांक अंकित नहीं है तथा आई.एल.आर. की रिपोर्ट में रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 को गोद पुत्र बताते हुये गोदनामा प्रस्तुत करने की बात अंकित की है । पटवारी व गिरदावर की रिपोर्ट विरोधाभाषी है । प्रश्नगत नामांतरकरण की जानकारी होते ही अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करदी थी जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 5.5.2014 द्वारा मियाद बाहर मानकर खारिज करने में कानूनी भूल की है । उनका कहना था कि रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 रामेश्वर का खास भाई जयनारायण था तथा जयनारायण के अपीलान्ट्स एवं रेस्पोंडेन्ट संख्या 3 से 5 वारिस है, जो हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत मु. जमना बेवा विजयलाल की भूमि में हक प्राप्त करने के अधिकारी है । उनका कहना था कि विजयलाल के दो पुत्र व पत्नी थी । विजय लाल की विरासत का नामांतरकरण मु. जमना बेवा विजयलाल के नाम तस्दीक हुआ था, जिसे दोनों भाईयों ने ही चुनौती नहीं दी । मु. जमना की विरासत के नामांतरकरण के वक्त दोनों पुत्र मौजूद थे तो एक पुत्र जयनारायण को छोडकर दूसरे पुत्र रामेश्वर के नाम प्रश्नगत नामांतरकरण तस्दीक करने में विधिक त्रुटि की है । उनका कहना था कि प्रश्नगत नामांतरकरण का ज्ञान उन्हें दिनांक 13.3.2012 को होने पर नकल प्राप्त कर अपील मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत करदी थी । उनका कहना था कि मु. जमना के जायन्दा पुत्र होते हुये रेस्पोंडेन्ट रामेश्वर को दत्तक पुत्र मानते हुये प्रश्नगत नामांतरकरण ग्रम पंचायत द्वारा तस्दीक किया है, जो प्रारम्भ से ही शून्य था जिसे चुनौती देने के लिये कोई सीमा बाधित नहीं थी । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के महत्वपूर्ण एवं विधिक तथ्यों पर गौर किये बिना ही अपीलान्ट्स की अपील केवल मियाद बाहर मानते हुये खारिज करने में विधिक त्रुटि की है । प्रश्नगत नामांतरकरण एवं अपीलाधीन आदेश न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तो एवं हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर प्रश्नगत नामांतरकरण एवं अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाकर प्रकरण तहसीलदार दांतारामगढ, जिला सीकर को पक्षकारों को सुन कर पुनः नामांतरकरण तस्दीक करने हेतु रिमाण्ड किया जावे ।

रेस्पोंडेन्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से कथन किया कि मु. जमना बेवा विजयलाल की विरासत का प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 107 ग्रम पंचायत श्यामपुरा ने दिनांक 21.5.1975 को रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 रामेश्वर पुत्र मु. जमना के नाम

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

तस्दीक किया था जिसका अपीलान्ट्स को प्रारम्भ से ही ज्ञान था, लेकिन विलम्ब के संबंध में कपोल कल्पित कारण अंकित करते हुये प्रश्नगत नामांतरकरण के खिलाफ अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी दांतारामगढ के समक्ष प्रथम अपील दिनांक 18.4.2012 को अर्थात 27 वर्षों के निराशाजनक विलम्ब से प्रस्तुत की थी । उनका कहना था कि अपीलान्ट संख्या 2 द्वारा प्रश्नगत नामांतरकरण की नकल पटवारी हल्का श्यामपुरा से दिनांक 23.12.2011 को प्राप्त कर लेने के बावजूद भी दिनांक 13.3.2012 को नामांतरकरण की जानकारी होना बताया गया है जिसे सत्य नहीं कहा जा सकता तथा दिनांक 23.12.2011 से दिनांक 13.3.2012 के मध्य की अवधि के संबंध में धारा 5 मियाद अधिनियम में कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया । प्रश्नगत नामांतरकरण की नकल प्राप्त करने के 30 दिन के अन्दर विधिक रूप से अपील पेश करनी होती है, लेकिन प्रश्नगत नामांतरकरण की नकल प्राप्त करने के 30 दिन बाद अपील प्रस्तुत की थी, जो स्पष्ट रूप से मियाद बाहर थी तथा मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र में अंकित विलम्ब के कारण मिथ्या है तथा इसके समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र भी गलत पेश किया है । उनका कहना था कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट्स की अपील स्पष्ट रूप से निशाजनक विलम्बित थी । उनका कहना था कि मियाद का बिन्दु भी विधि का महत्वपूर्ण बिन्दु है जिसको नजरन्दाज नहीं किया जाना चाहिये । यदि विलम्ब के संबंध में बताये गये कारण उचित एवं संतोषजनक होने की स्थिति में ही विलम्ब के संबंध में लचिला रूख अपना कर विलम्ब को क्षमा किया जाना चाहिये, लेकिन यदि विलम्ब के संबंध में बताये गये कारण कपोल कल्पित व असंतोषजनक पाये जाने की स्थिति में सर्वप्रथम अपील मियाद के बिन्दु पर ही खारिज की जानी चाहिये । उनका यह भी कहना था कि विधानसभा क्षेत्र दांतारामगढ की निर्वाचन नामावली 1966 भाग संख्या 145, विधानसभा निर्वाचन नामावली 1980 भाग संख्या 13, विधानसभा निर्वाचन नामावली 1993 भाग संख्या 20 एवं विधानसभा निर्वाचन नामावली 1971 भाग संख्या 153 में रेस्पोंडेन्ट रामेश्वर के पिता का नाम क्रमशः बीजू, विजैलाल, बीजूराम तथा अपीलान्ट्स के पति एवं पिता जयनारायण के पिता का नाम क्रमशः रामकंवार, रामकुमार, राजकुमार, रामकुमार अंकित है तथा रजिस्ट्रेश रजिस्टर अधिकृत खुदरा विक्रेता में क्रम संख्या 142 पर जयनारायण के पिता का नाम रामकुमार अंकित है । इससे स्पष्ट है कि जयनारायण विजयलाल का पुत्र नहीं होकर रामकुमार का पुत्र है तथा रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 रामेश्वर, विजयलाल का पुत्र है । ग्रम पंचायत द्वारा मु. जमना बेवा विजयलाल की विरासता का प्रश्नगत नामांतरकरण रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 के नाम विधिक रूप से तस्दीक किया है जिसमें कोई कानूनी त्रुटि नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने भी अपीलान्ट की अपील पर अपीलाधीन आदेश द्वारा अपीलान्ट को प्रश्नगत नामांतरकरण की पूर्व से जानकारी होते हुए भी मियाद बाहर अपील प्रस्तुत किये जाना तथा विलम्ब के संबंध में दिन प्रतिदिन का अपील आवेदन में उल्लेख नहीं किये जाने की स्थिति में विलम्ब को कन्डोन किया जाना उचित नहीं मानते हुये अपील अपीलान्ट मियाद बाहर होने से खारिज की गई है, जो उचित एवं विधिसम्यक है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे । अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.टी. 2016 (2) पृष्ठ 1110, 2016 (1) डी.एन.जे. राज. 201, 2016 डी.एन.जे.(सीसी) 62, 1999 डी.एन.जे. (राज.) 678 एवं 1999 डी.एन.जे. (राज.) 56 की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया ।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं रेस्पोंडेन्ट के योग्य अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का अवलोकन किया । प्रकरण में मुख्यतः विवाद विवादित भूमि की खातेदार मु. जमना बेवा विजयलाल की विरासत के नामांतरकरण का

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

है । खातेदार विजय लाल के वारिस जमना देवी पत्नी, जयनारायण एवं रामेश्वर पुत्र तथा जयनारायण (फौत) के वारिस पाना देवी पत्नी, बनवारी पुत्र, सन्तरा, द्रोपदी, निर्मला पुत्रियॅा है । विजयलाल की विरासत का नामांतरकरण उसकी पत्नी मु. जमना के नाम तस्दीक हुआ एवं मु.जमना के फौत होने पर उसकी विरासत का प्रश्नगत नामांतरकरण ग्रम पंचायत द्वारा रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 रामेश्वर पुत्र विजयलाल के नाम तस्दीक हुआ है । अपीलान्ट्स विजयलाल के पुत्र जयनारायण की पत्नी एवं पुत्र है तथा रेस्पोंडेन्ट संख्या 3 से 5 जयनारायण की पुत्रियॅा है, जो मु. जमना की भूमि में विरासतन हक चाहती है। अपीलान्ट्स द्वारा प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 107 के खिलाफ अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील मियाद बाहर पेश की थी, जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 5.5.2013 द्वारा मियाद बाहर मानते हुये खारिज की है ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि मृतक खातेदार विजयलाल के वारिस अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश में अंकित सजरे के अनुसार मु. जमना (मृत ) पत्नी, प्रभाती, गुलाब (मृत), मूली (मृत) पुत्रियॅा एवं जयनारायण (मृत), रामेश्वर पुत्रान एवं जयनारायण के पाना देवी पत्नी, रामस्वरूप (गोद गये रामकुमार के ), बनवारी, संतरा, द्रौपदी, निर्मला पुत्रियॅा अंकित है । जयनारायण के मृत्यु प्रमाण पत्र में भी उसके पिता का नाम विजय लाल शर्मा अंकित है । मृतक जमना बेवा विजयलाल की विरासत का प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 107 पटवारी हल्का द्वारा रामेश्वर पुत्र मु. जमना के नाम भरा गया जिस पर गिरदावर की रिपोर्ट में गोद का लडका होने से गोदनामा प्रस्तुत किये जाने की टिप्पणी अंकित की है । ग्रम पंचायत द्वारा बिना पंचायत कौरम में प्रस्ताव पास कराये , वारिसान की जॅाच किये बिना एवं विधिक वारिसान को सुनवाई का अवसर दिये बिना प्रश्नगत नामांतरकरण अकेले रामेश्वर पुत्र मु. जमना के नाम तस्दीक किया है । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 के प्रार्थना पत्र में रामेश्वर द्वारा तकासमा का वाद प्रस्तुत करने की जानकारी दिनांक 13.3.2012 को होने पर पक्षकार बनने का मुकदमा प्रस्तुत करने के तत्पश्चात् प्रश्नगत नामांतरकरण की जानकारी हुई ओर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर अपील प्रस्तुत की थी । प्रश्नगत नामांतरकरण की प्रमाणित प्रतिलिपि नकल तैयारी दिनांक 12.4.2012 अंकित है ओर अपीलान्टस ने दिनांक 16.4.2012 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील पेश करदी थी । उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश मे ग्रम पंचायत द्वारा प्रश्नगत नामांतरकरण मृतक जमना के विधिक वारिसान की जॅाच किये बिना तथा उन्हें सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना एवं पंचायत कौरम के प्रस्ताव पास कराये अकेले रामेश्वर के नाम तस्दीक किया है, जो प्रारम्भ से ही प्रभावशुन्य आदेश की श्रेणी में होने से उसे चुनौती देने के लिये कोई समय सीमा बाधित नहीं होती । दूसरी ओर प्रश्नगत नामांतरकरण की नकल दिनांक 12.4.2012 को तैयार होने पर उसके खिलाफ अपील दिनांक 16.4.2012 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई थी, जिसमें विधिक रूप से विलम्ब होना नहीं माना जा सकता । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के विधिक एवं महत्वपूर्ण तथ्यों को नजरन्दाज करते हुये अपीलान्ट की अपील अपीलाधीन आदेश दिनांक 5.5.2014 द्वारा मियाद बाहर मानते हुये खारिज करने में विधिक त्रुटि की है । अतः प्रकरण के गुणावगुण को दृष्टिगत रखते हुये एवं न्याय हित में विलम्ब के संबंध में लचिला रूख अपनाकर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी दांतारामगढ, जिला सीकर को उभयपक्षों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में गुणावगुण पर निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने का मौहताज है । परिणामस्वरूप अपील

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी दांतारामगढ, जिला सीकर दिनांक 5.5.2014 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण उन्हें उभयपक्षों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में गुणावगुण पर निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक को 08.08.2018 को सुनाया गया ।

चित्रा

( चित्रा गुप्ता )

अति. सम्भागीय आयुक्त

जयपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर